न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 33/2023 बउनवानी विष्णु सोमानी बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार स0मा0 एस.पी. ऑफिस के सामने न्यायालय परिसर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2023/71

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
19.7.2023	पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 07.02.2023 लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. नकल मिसल बन्दोबस्त सम्वत,2009 से सम्वत् 2023 तक खाता संख्या 162 किता 59, रकबा साढे छत्तीस बीघा ठाकुर गोपाल जी, अहतमाम पुजारी घासी लाल वल्द कल्याणमल सा.देह ग्राम आलनपुर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा जवाब नोटिस कमांक/एलआर/2023/4791 दिनांक 10.7.2023 से अवगत करवाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 07.02.2023 के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना कुल 4 पृष्ठों की तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक कमांक/एलआर/2023/4790 दिनांक 10.7.2023 द्वारा अपीलान्ट को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 07.02.2023 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 4790 दिनांक 10.07.2023 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.12.19 11:39:39 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर